दिनांक 27.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 49 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले आई0पी0एस0 अधिकारीगण का विदाई समारोह

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 27.11.2025 को पुलिस मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह के दौरान अधिवर्षता आयु दिनॉकः 30.11.2025 को पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी श्रीमती तिलोतमा वर्मा पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण उ0प्र0, श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय पुलिस अधीक्षक वाणिज्य कर उ0प्र0 एवं श्री शिवाजी पुलिस अधीक्षक तकनीकी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

विदाई कार्यक्रम के दौरान श्रीमती तिलोत्मा वर्मा के पति **श्री आशीष गुप्ता, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक** के उपस्थित न होने के कारण उनका रिकार्डेड संबोधन सुनाया गया तथा **श्रीमती रेणुका मिश्रा**, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय एवं **श्री आर0के0 स्वर्णकार**, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी द्वारा अपने संबोधन में श्रीमती तिलोत्मा वर्मा के साथ बिताये गये महत्वपूर्ण पलों को साझा करते हुये पुलिस विभाग में किये गये उनके सराहनीय कार्यों का उल्लेख करते हुये सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

कार्यक्रम के दौरान **श्रीमती तिलोतमा वर्मा जी,** द्वारा सम्बोधन में अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को साझा करते हुये आई0पी0एस0 बनने का पूरा श्रेय अपने माता–पिता को दिया गया तथा पुलिस विभाग में नियुक्तियों के दौरान महत्वपूर्ण संस्मरणों को साझा करते हुये पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 सहित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय जी ने अपने संबोधन में सेवाकाल से पूर्णतया संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा गया कि पुलिस विभाग द्वारा दी गयी प्रतिष्ठा, सम्मान एवं रोजगार देने के लिये पुलिस विभाग का आभारी हूँ। पुलिस विभाग में अपनी नियुक्तियों के दौरान के महत्वपूर्ण संस्मरणों को साझा करते हुये पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 सहित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

श्री शिवाजी द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि पुलिस विभाग की लम्बी सेवा के बाद सकुशल सेवानिवृत्त होने पर बहुत प्रसन्नता हो रही है। पुलिस विभाग में रहते हुये आप किसी भी पीड़ित को त्वरित न्याय दिला सकते हैं तथा पुलिस विभाग में अपनी नियुक्तियों के दौरान महत्वपूर्ण संस्मरणों को साझा करते हुये पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 सहित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कार्यक्रम के अन्त में अपने संबोधन में श्रीमती तिलोतमा वर्मा जी द्वारा कार्यकाल के दौरान किये गये कार्यों की सराहना करते हुये उनके सरल व्यक्तित्व की प्रशंसा की गयी। विशेष रूप से डीजी प्रशिक्षण के पद पर रहते हुये स्पष्ट विजन, प्रतिबद्धता, टीम वर्क एवं लीडरशिप के साथ कार्य करते हुये उत्तर प्रदेश पुलिस में सफलता पूर्वक एक साथ 60 हजार आरक्षियों के कराये जा रहे प्रशिक्षण की सराहना की गयी। इसके अतिरिक्त अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय एवं श्री शिवाजी के बारे में अपने संबोधन में उनके कार्यकाल की प्रशंसा की गयी तथा अंत में तीनों अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा जी का जन्म 02 नवम्बर 1965 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) में हुआ था। वर्ष 1990 में ''भारतीय पुलिस सेवा'' में चयनित हुयीं। प्रशिक्षणोपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक अभिसूचना लखनऊ, सहायक पुलिस अधीक्षक वाराणसी, शाहजहाँपुर, झाँसी, पुलिस अधीक्षक(नगर) झाँसी, पुलिस अधीक्षक टिहरीगढ़वाल, हाथरस, सुलतानपुर, सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ, कोसोवो, पुलिस अधीक्षक(वी0के0) अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, सेनानायक, 30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा एवं सेनानायक, 42वीं वाहिनी पीएसी इलाहाबाद के पद पर नियुक्त रहीं तथा वर्ष 2002 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गयीं। वर्ष 2011 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप पुलिस महानिरीक्षक (सी0आई0) अभिसूचना लखनऊ एवं पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ के पद पर नियुक्त रहीं। वर्ष 2015 में 'अपर पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होकर 'अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक' अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ के पद पर नियुक्त हुयीं तथा यहीं से पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गयीं। वर्ष 2023 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप 'अपर पुलिस महानिदेशक' प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त हुयीं। वर्ष 2024 में ''पुलिस महानिदेशक'' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त हुयीं, जहाँ से दिनांकः 30.11.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त होंगी।

श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा जी को दिनांकः 27.03.2002 को वीरता के लिये पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2006 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, गणतन्त्र दिवस 2015 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक, यू0एन0 पीस कीपिंग मेडल, पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल, चीफ मिनिस्टर रोल आफ ऑनर, डायरेक्टर कमेण्डेशन डिस्क एट एनपीए 2002, एशिया इनवायरनमेण्टल इन्फोर्समेण्ट एवार्ड 2022, क्लार्क आर बाविन वाइल्डलाइफ लॉ इन्फोर्समेण्ट अवार्ड एवं स्वतन्त्रता दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर) से सम्मानित किया गया है।

श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा जी अत्यन्त निष्ठावान एवं मृदुभाषी स्वभाव की सुयोग्य अधिकारी रहीं हैं। आपका 35 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय जी का जन्म 26 नवम्बर 1965 को अमेठी में हुआ था। वर्ष 1997 में ''प्रान्तीय पुलिस सेवा'' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सन्त रविदास नगर, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर नगर, बरेली, सिद्वार्थनगर, वाराणसी, पुलिस उपाधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, ईओडब्ल्यू मुख्यालय लखनऊ, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ एवं सहायक सेनानायक, चतुर्थ वाहिनी पीएसी इलाहाबाद के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, जनपद वाराणसी, अपर पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर, चित्रकूट, अपर पुलिस अधीक्षक(अपराध) इलाहाबाद, अपर पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी सेक्टर वाराणसी एवं अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2020 में ''भारतीय पुलिस सेवा'' में प्रोन्नत होकर पुलिस अधीक्षक वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से दिनांकः 30.11.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे।

श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय जी को गणतन्त्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर), स्वतन्त्रता दिवस 2023 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक एवं इसी अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड) से सम्मानित किया गया है।

श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय जी निष्ठावान एवं सरल स्वभाव के अधिकारी रहे हैं। आपका 28 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री शिवाजी का जन्म 14 नवम्बर 1965 को जनपद बहराइच में हुआ था। वर्ष 1998 में ''प्रान्तीय पुलिस सेवा'' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद टिहरीगढ़वाल, कुशीनगर, अम्बेडकरनगर, बरेली, फतेहपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़,

पुलिस उपाधीक्षक सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ एवं सहायक सेनानायक, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानायक, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, प्रतापगढ़, अपर पुलिस अधीक्षक(नगर) पूर्वी कानपुर नगर, अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ एवं अपर पुलिस अधीक्षक, एसीओ मुख्यालय लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2022 में ''भारतीय पुलिस सेवा'' में प्रोन्नत होकर पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर एवं पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त हैं, जहाँ से दिनांकः 30.11.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे।

श्री शिवाजी को गणतन्त्र दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर) एवं स्वतन्त्रता दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के प्रशंसा चिन्ह (गोल्ड) से सम्मानित किया गया है।

श्री शिवाजी कार्यकुशल एवं सरल स्वभाव के अधिकारी रहे हैं। आपका 27 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

दिनांक **27.11.2025**
प्रेस विज्ञप्ति **50/2025**

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में "जीरो टॉलरेंस" की नीति के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बांदा इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई</u>

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संचालित **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्णा** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 27.11.2025 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन बांदा इकाई** द्वारा श्री राम प्रकाश निवासी ग्राम कालूपुर पाही जनपद चित्रकूट से गाटा संख्या-195 की हदबन्दी कराये जाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री राकेश सिंह के नेतृत्व में सूरज इण्टर प्राइजेज के सामने सडक पार निजाम के घर के सामने शारदा नगर राजापुर रोड कर्वी चित्रकूट से **राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह** पुत्र स्व0 मुन्नू लाल **(तैनाती तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट)** निवासी ग्राम महुराई थाना बदौसा तहसील अतर्रा जनपद बांदा को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 27.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 51/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–दिनांक 26.11.2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा थाना पाकबाड़ा जनपद मुरादाबाद थाना क्षेत्रान्तर्गत असम, पं0 बंगाल राज्य से चोरी कर लाये गये 04 अदद ट्रैक्टर मय कैण्टर व 02 अदद जॉन्डियर इंजन बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः–

1– कासिम पुत्र लईक निवासी चौधरपुर, थाना डिडौली, जनपद अमरोहा।

2– शेरपाल पुत्र फूल सिंह निवासी मकान नं0–776 रूकनुद्दीन सराय होलीवे स्कूल के पास, थाना नखासा, जनपद सम्भल।

3– मुस्तकीम पुत्र रफीक हुसैन निवासी मिलक गौसपुर, थाना डिडोली, जनपद अमरोहा।

4– जाने आलम पुत्र मोहम्मद अतीक निवासी मिलक गौसपुर, थाना डिडौली, जनपद अमरोहा।

बरामदगी–

1– 04 अदद ट्रैक्टर

2– 01 कैण्टर (ट्रैक्टरों के परिवहन में प्रयुक्त)

3– 02 अदद जॉन्डियर इंजन (चेसिस से अलग किये हुए इंजन)

4– 04 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थानः– पाकबाड़ा से हाकिमपुर स्टेशन रोड पर बड़े तालाब से 100 मीटर पहले, थाना पाकबाड़ जनपद मुरादाबाद। दिनांक 26.11.2025, समय 16:25 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को असम व पं0 बंगाल राज्य से चोरी किये गये ट्रैक्टरों के जनपद मुरादाबाद में खरीद–फरोख्त के सम्बन्ध में लगातार सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी, जिसके सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की टीमों को अभिसूचना संकलन हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 26.11.2025 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के उ0नि0 अमित कुमार, मु0आरक्षीगण संदीप कुमार, नितिन, रामजी लाल, कुशांक, आ0 संजय यादव व मु0आ0 चालक मनोज कुमार अवस्थी की टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु जनपद मुरादाबाद में भ्रमणषील थी। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कुछ लोग एक कैण्टर असम व पं0 बंगाल से चोरी किये गये ट्रैक्टर व चौसिस से अलग किये गये इंजन लेकर थाना पाकबाड़ा क्षेत्रान्तर्गत बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा मुखबिर की निषादेही पर उपरोक्त स्थान से उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में कासिम उपरोक्त ने बताया कि वह असम, उड़ीसा व पं0 बंगाल राज्यों से पुराने चोरी के ट्रैक्टरों को खरीदकर वहां से कैण्टर से मंगाकर यहां रिपेयर व पैण्ट कराकर उनके चौसिस नम्बर, इंजन नम्बर, मार्का प्लेट बदलकर अच्छे दामों में बेच देता है।

दूसरे व्यक्ति शेरपाल उपरोक्त ने बताया कि वह कैण्टर ड्राइवर है। वह अलग–अलग कम्पनियों का माल असम, उड़ीसा, पं0 बंगाल, बिहार, झारखण्ड राज्यों में ले जाता है व वापसी में कासिम के खरीदे हुये ट्रैक्टर, इंजन, टायर व अन्य पार्ट्स लोड कराकर ले आता है। इस कैण्टर का मालिक शमशूल हसन है जो कि कुंदरकी का रहने वाला है। शमशूल की बतायी लोकेशन से ही उसने इस कैण्टर में खड्गपुर से कासिम के ट्रैक्टर व इंजन लोड कराये थे। दि0 23.11.2025 को जब वह खड्गपुर (पं0 बंगाल) में था तो कासिम ने भी उससे सम्पर्क किया था और कहा कि खड्गपुर से 02 ट्रैक्टर व 02 इंजन लोड कराकर ले आना। बेल्दा, पं0बंगाल के रहने वाला अली नाम के व्यक्ति जिसका पता उसे नही मालूम है, ने इंजन व ट्रैक्टर लोड कराकर भेजे हैं। इन ट्रैक्टरों व इंजनो की डिलीवरी लेने के लिए कासिम ने उसे यहां बुलाया था।

ड्राइवर शेरपाल की कही बातों के सम्बन्ध में कासिम से पूछा तो उसने बताया कि उसने ही अली नाम के व्यक्ति से चोरी के 02 ट्रैक्टर व 02 इंजन खरीदे है जो कि इस समय इसी कैण्टर में लोड हैं। वह यहीं कहीं सही जगह देखकर इनको उतारकर इनके चौसिस नम्बर, इंजन नम्बर व मार्का प्लेट बदलकर इनको अच्छे दामों में बेच देता। 02 इंजन पटियाला के रहने वाले बॉबी को भेजता व दोनों ट्रैक्टर फार्मट्रेक व एस पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले रवि व दीपक को देने

थे। ये दोनो सगे भाई है व यहीं ट्रैक्टर लेने आने वाले हैं व कैण्टर के आगे खडे़ दोनों ट्रैक्टरों को बाजपुर के पास दडियाल के रहने वाले शखावत को देना था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना पाकबाड़ा, जनपद मुराबादा पर मु0अ0सं0–338/2025 धारा 317(5) , 61(2) , 318(4) बी0एन0एस0व 52 एम0वी0 एक्ट पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27–11–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने वाले 01 अभियुक्त को लखनऊ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1– अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा पुत्र अषोक कुमार सिंह निवासी फ्लैट नं0 2, प्रथम तल, ब्लाक–1, वरूणा इन्क्लेव, सिकरौल, थाना कैण्ट वाराणसी मूल निवासी ग्राम सीठूपुर पो0 भोड़ा थाना सुरेरी जनपद जौनपुर।

बरामदगी–

1– 02 अदद मोबाइल फोन।

2– 01 अदद फार्चुनर गाड़ी नं0 यू0पी0 65 एफ0एन0 9777

3– 01 अदद आधार कार्ड।

4– रू 4500–/ नकद

5– मोबाईल से प्राप्त विभिन्न प्रपत्र।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

ग्वारी चौराहा के निकट, थाना गोमती नगर, लखनऊ। दिनांक 27–11–2025 समय लगभग 07.00 बजे प्रातः।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, असम, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश भेजे जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसकी रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–201 पी/छः–पु–3–2024 दिनांकः12 फरवरी 2024 द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग उ0प्र0 की संयुक्त जांच समिति का

गठन किया गया था। जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध फेन्सेडिल कफ सिरप को बरामद कर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0–182/2024 धारा 420/467/468/471/34/120बी/201 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दी गई जांच के अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय, निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह, हे0का0 विनोद सिंह, हे0का0 गौरव सिंह, हे0का0 अखिलेष कुमार, हे0का0 प्रभाकर पाण्डेय, हे0का0 सुनील कुमार सिंह, हे0का0 शेर बहादुर, हे0का0 कृष्ण कुमार त्रिपाठी की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस0टी0एफ0 द्वारा अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त विभोर राणा एवं विशाल सिंह पुत्रगण गजराज सिंह निवासी शास्त्री नगर थाना सदर बाजार, सहारनपुर को दिनांक 12–11–2025 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाष में आये अभियुक्त अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को अभिसूचना के आधार पर ग्वारी चौराहा के निकट, थाना गोमती नगर, लखनऊ से पकड़ा गया तथा विस्तृत पूछताछ हेतु एस0टी0एफ0 मुख्यालय लाया गया।

उपरोक्त अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ में बताया कि ग्राम नरवे आजमगढ़ का रहने वाले विकास सिंह के माध्यम से मेरा परिचय शुभम जायसवाल पुत्र भोला प्रसाद निवासी कायस्थ टोला प्रह्लाद घाट वाराणसी से हुआ था। विकास सिंह ने बताया था कि शुभम जायसवाल का एबॉट कंपनी की फेन्सेडिल कफ सिरप का शैली ट्रेडर्स के नाम से बड़ा कारोबार रांची, झारखंड में है। कोडीन युक्त फेन्सेडिल कफ सिरप नशे के रूप में प्रयोग होता है, जिसकी काफी डिमांड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। इसकी तस्करी में बहुत फायदा है। अगर उसके धंधे में कुछ पैसे लगाओगे तो काफी आमदनी होगी, इस पर मैं लालच में आकर तैयार हो गया। हम दोनों ने विकास सिंह के माध्यम से शुभम जायसवाल व उसके अन्य पार्टनरों के साथ बातचीत की और उन लोगों ने धनबाद में मेरा देवकृपा मेडिकल एजेंसी के नाम से जनवरी 2024 में फर्म बनवा दी। फर्म का सारा लेनदेन शुभम जायसवाल व उसके पार्टनर तथा उसका सी0ए0 देखता था। धनबाद के बिजनेस में मैंने 5 लाख रूपये लगाया। मुझको इन लोगों ने लगभग 20–22 लाख रुपए दिए। मैं धनबाद 2–3 बार ही गया हूं। इसके बाद इन लोगों के कहने पर मेरे नाम से बनारस में भी ड्रग लाइसेंस लेकर फर्म खुलवाई। मेरे नाम से श्री मेडिकल के नाम से फर्म खुलवाई। इसका भी सारा

लेन–देन शुभम जायसवाल व उसके साथी देखते थे। बनारस की फर्म में दो–तीन महीने ही फेन्सेडिल का व्यापार होना बताया। उसके बाद एबॉट कंपनी द्वारा फेन्सेडिल कफ सिरप बनाना बंद हो गई। बनारस की फर्म में भी लगभग 8 लाख रुपए का लाभ अलग–अलग समय पर शुभम ने दिया था। सारे रुपये नकद मिलते थे जिन्हें मैं अपनी पत्नी साक्षी सिंह के बैंक अकाउंट में डाल देता था। शुभम जायसवाल एवं उसके पार्टनरों के एबॉट कंपनी के अधिकारियों से मिलकर 100 करोड़ से अधिक का कफ सीरप खरीदा था, जिसमें ज्यादातर सिरप फर्जी खरीद–बिक्री बिल, ई–वे बिल बनाकर तस्करी कर बेच दिया गया है। रांची, गाजियाबाद में पुलिस एवं एस0टी0एफ0 टीम द्वारा इसके गैंग के सौरभ त्यागी, विभोर राणा आदि को गिरफ्तार कर लेने के कारण शुभम जायसवाल अपने परिवार एवं पार्टनर वरुण सिंह, गौरव जायसवाल के साथ दुबई भाग गया है। शुभम जायसवाल फेसटाइम ऍप के माध्यम से बात करता हैं। शुभम जायसवाल व उसके पार्टनर द्वारा हम लोगों के अलावा अन्य काफी लोगों के नाम से भी इसी प्रकार फर्जी फर्म बनवाकर फेन्सेडिल कफ सीरप के कूटरचित बिल और ई–वे बिल तैयार कर फर्जी खरीद बिक्री दिखाकर उसको तस्करों के हाथ बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं इसमें एबॉट कंपनी के अधिकारी भी संलिप्त हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 34, 120बी, 201 भा0द0वि0 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही एस0टी0एफ0 द्वारा की जाएगी।

<u>अभियुक्त उपरोक्त का अब तक का ज्ञात आपराधिक इतिहास–</u>

1– 289/2014 धारा– 147, 148, 149, 307 भादवि व 7 सीएलए थाना सारनाथ जनपद वाराणसी।

2– मु0अ0सं0 191/2015 धारा 3/7/25 आमर्स एक्ट कैंट जनपद वाराणसी।

3– मु0अ0सं0 292/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कैंट जनपद वाराणसी।

4– मु0अ0सं0 608/2021 धारा 504/506 भा0द0वि0 थाना कैंट जनपद वाराणसी।

5– मु0अ0सं0 134/2023 धारा 147, 148, 307, 120बी, 506 भादवि थाना सारनाथ जनपद वाराणसी।

6– मु0अ0सं0 182/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 34, 120बी, 201 भा0द0वि0 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ।

7– मु0अ0सं0 177/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110 बीएनएस मडुआडीह जनपद वाराणसी।

अन्य अभियोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

एसटीएफ–अन्तर्राज्यीय स्तर पर वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर रोजरिंग प्रजाति के 300 अदद तोते के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 27–11–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को संरक्षित/प्रतिबन्धित रोजरिंग प्रजाति के तोते की तस्करी करने वाले गैंग के 02 अन्तर्राज्यीय तस्कर को रोजरिंग प्रजाति के 300 अदद तोते के साथ जनपद बरेली से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1– अरसलान खान पुत्र शाकिर निवासी बरेली गेट रामपुर, नूरानी मस्जिद, थाना गंज जनपद रामपुर।

2– शाकिब पुत्र शानू निवासी बिलासपुर गेट रामपुर पाँच कवर थाना गंज जनपद रामपुर।

बरामदगी–

1– 300 अदद तोता (रोजरिंग प्रजाति के)

2– 01 अदद हुंडई औरा कार नं0 यू0पी0 21 डी0एफ0 7948

3– 02 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

रामपुर मार्ग पर कैम्फुट फैक्ट्री के सामने, थाना क्षेत्र सीबीगंज, जनपद बरेली दिनांक 27–11–2025 समय लगभग 12.30 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को संरक्षित वन्य जीवों की अवैध तस्करी करने वाले तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 27–11–2025 को निरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसटीएफ टीम द्वारा जनपद बरेली में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि जनपद रामपुर से बरेली के रास्ते संरक्षित जीवों की तस्करी करने वाले 02 व्यक्ति वाहन संख्या यू0पी0 21 डी0एफ0 7948 से प्रतिबन्धित प्रजाति के तोते लेकर दिल्ली जा रहे है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा वन विभाग एवं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, गोरखपुर की टीम से सूचना साझा करते हुए सम्बन्धित थाना क्षेत्र की पुलिस को साथ लेकर कैम्फुट फैक्ट्री के सामने से दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि उपरोक्त प्रतिबन्धित पक्षी (तोता) रामपुर निवासी सिब्बू खॉन उर्फ नेता से 200 रूपये प्रति जोड़ी के हिसाब से खरीदा था, जिनको दिल्ली में छोटे व्यापारियों को 400 से 500 रूपये में बेचता है। इसके पहले भी कई बार रामपुर के सिब्बू से तोता एवं अन्य जीवों को ले खरीद कर दिल्ली में सप्लाई कर चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभागीय वनाधिकारी, बरेली वन क्षेत्र अन्तर्गत रेंज बरेली में रेंज केस नं0 20/2025–26 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यथा संशोधित 1972 की धारा 9/44/48बी/49बी/51ए/39 व भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41/42/52ए/52डी–2(4) मे अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही वन विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही है।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा देहात

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.11.2025 को थाना खुर्जा देहात व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मलगौसा जाने वाले रास्ते से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सद्दाम उर्फ अकरम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुर्जा देहात पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 46 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सद्दाम उर्फ अकरम निवासी मलगौसा थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद खीरी/थाना नीमगांव

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 01 लाख 70 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉक:27.11.2025 को थाना नीमगॉव, सर्विलांस टीम आई0जी0रेन्ज लखनऊ, स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–मुहीब घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–हसरत अली उर्फ छोटा 3–गोपाल 4–तैय्यब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 01 लाख 70 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना नीमगॉव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नीमगॉव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त मुहीब के विरूद्ध जनपद खीरी के थाना फरधान पर सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नीमगॉव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुहीब निवासी ग्राम कौढेय्या थाना फरधान जनपद खीरी।

2–हसरत अली उर्फ छोटा निवासी गौरिया थाना फरधान जनपद खीरी।

3–गोपाल निवासी पलिया थाना पलिया जनपद खीरी।

4–तैय्यब निवासी गौरिया थाना फरधान जनपद खीरी।

<u>बरामदगी</u>

1–लूटे गये 01 लाख 70 हजार रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद एटा/थाना अवागढ़</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की 01 लाइसेन्सी पिस्टल 32 बोर, 02 मैगजीन, 07 जीवित कारतूस**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनॉकः 27.11.2025 को थाना अवागढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त गोविन्द उर्फ गोविन्दा को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 लाइसेन्सी पिस्टल 32 बोर, 02 मैगजीन, 07 जीवित कारतूस, चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना अवागढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अवागढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद लाइसेन्सी पिस्टल आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या के प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अवागढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–गोविन्द उर्फ गोविन्दा निवासी मोहल्ला रायान कस्बा व थाना अवागढ़ जनपद एटा।

बरामदगी

1–चोरी की 01 लाइसेन्सी पिस्टल 32 बोर, 02 मैगजीन, 07 जीवित कारतूस।

2–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

- **जनपद हापुड़/थाना हाफिजपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 27 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हाफिजपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आनन्द 2–मनीष 3–छत्रपाल को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना चौबिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना चौबिया पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–राहुल को धारा 302/34/498ए भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–सुरेन्द्र व 3–अभियुक्ता को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद औरैया/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नीतू को सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना इब्राहिमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना इब्राहिमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 व 376 भादवि सपठित धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमर उर्फ मोनू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना ककोड़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना ककोड़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/506 भादवि व 18 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सलाउद्दीन को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————